घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005

समाज में घरेलू हिंसा व घरेलू हिंसा कानून से संबंधित भ्रांतियां एवं सच्चाई

यह एक घर तोड़ू कानून है।

यह कानून घर को नहीं तोड़ता, बल्कि घर को हिंसामुक्त बनाने का काम करता है। हिंसा किसी के साथ भी जायज नहीं है, क्योंकि हिंसा एक अमानवीय व्यवहार है, जो किसी भी व्यक्ति के विकास में सबसे बड़ी बाधक है। फिर चाहे वह हिंसा घर में ही क्यों न हो रही हो। यह कानून महिला को हिंसा मुक्त जीवन जीने का अधिकार व घर में बराबरी का दर्जा देता है। अतः यह कानून घर को तोड़ता नहीं, बल्कि घर को खुशहाल बनाता है।

यह एक पुरुष विरोधी कानून है और इसके जरिए पुरुषों को जेल हो रही है।

यह कानून पुरूषों के खिलाफ़ नहीं है, यह कानून घरेलू हिंसा के ख़िलाफ़ है। यह कानून सिविल(दिवानी) कानून है। यह कानून पारिवारिक रिश्तों में रहते हुए आपत्तिजनक व्यवहारों (हिंसा) को सुधारने का पूरा मौका देता है। अगर किसी पुरुष के ख़िलाफ़ घरेलू हिंसा की शिकायत की जाती है, तो मजिस्ट्रेट द्वारा पहले पुरूश को चेताया जायेगा और उसे अपने व्यवहार को सुधारने का मौका दिया जायेगा। किसी पुरूष के खिलाफ़ तभी दण्डात्मक कार्यवाही होगी जब वह न्यायालय के आदेश की अवहेलना करेगा/करता है।

घरेलू हिंसा केवल तभी होती है जब पति पत्नी को पीटता है।

घरेलू हिंसा में हमेशा शारीरिक हिंसा ही नहीं होती, यह बोलकर, मनोभावों के द्वारा और आर्थिक रुप से भी होती है। और यह केवल पति द्वारा ही नहीं वरन् एक नातेदारी में रह रही किसी भी महिला या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ किसी भी तरह की हिंसा करना घरेलू हिंसा माना जाएगा।

घरेलू हिंसा एक व्यक्तिगत मामला है।

घरेलू हिंसा एक व्यक्तिगत मामला नहीं बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है क्योंकि यह महिलाओं के मानवाधिकार का हनन है जिससे हम सभी का हस्तक्षेप ज़रुरी है। इसे व्यक्तिगत कहकर उपेक्षित नहीं किया जा सकता।

किसी महिला या बच्चे को एक थप्पड़ मारना हिंसा नहीं है।

हिंसा की मात्रा मापी नहीं जा सकती है, चाहे वह कम हो या ज्यादा। हिंसा किसी भी तरह से सही नहीं ठहराई जा सकती, चाहे वह एक थप्पड़ ही क्यों न हो।

पिता का अपने बच्चे को उसकी भलाई के लिए मारना/धमकाना हिंसा नहीं है।

किसी के भी द्वारा किसी भी रुप में की गई हिंसा गलत है क्योंकि मारते आप उसी को हैं जो प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं है।

शराब के कारण घरेलू हिंसा होती है।

घरेलू हिंसा के लिए शराब के कारक हो सकता है, पर पूरी तरह शराब को बहाना नहीं बनाया जा सकता है। शराब पीकर आदमी किसी अपने से ज्यादा ताकतवर व्यक्ति पर हमला नहीं करता। घर के अन्दर वह समझता है कि पत्नी पर उसकी सत्ता चलती है, तभी वह हिंसा करता है।

महिला समाख्या, उत्तराखण्ड
राज्य कार्यालय, इन्दिरा नगर,
फेज – 1, देहरादून, उत्तराखण्ड
फोन नं0 –

हम हो,
हिंसा न हो!